न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अजमेर

परिवाद संख्या 22/2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,अजमेर

..........प्रार्थी

बनाम

1. श्री हिमांशु अग्रवाल पुत्र श्री राजनारायण अग्रवाल (विक्रेता), मैसर्स महादेव ट्रेडर्स, 51, आदर्श नगर गेट के अन्दर, जैन स्थानक के पास, आदर्श नगर, अजमेर
2. श्रीमती हर्षा अग्रवाल (प्रोपराईटर), मैसर्स महादेव ट्रेडर्स, 51, आदर्श नगर गेट के अन्दर, जैन स्थानक के पास, आदर्श नगर, अजमेर
3. मैसर्स महादेव ट्रेडर्स, 51, आदर्श नगर गेट के अन्दर, जैन स्थानक के पास, आदर्श नगर, अजमेर
4. श्री सचिन सिंघला, पुत्र श्री रामस्वरूप सिंघला (प्रोपराईटर) मेसर्स सिंघला डेयरी प्रोडक्ट, शॉप नम्बर 10, हाउसिंग बोर्ड मार्केट, शाहाबाद (मर्कण्डा), कुरूक्षेत्र, हरियाणा पिन 136131
5. मेसर्स सिंघला डेयरी प्रोडक्ट, शॉप नम्बर 10, हाउसिंग बोर्ड मार्केट, शाहाबाद मर्कण्डा), कुरूक्षेत्र, हरियाणा पिन 136131
6. Sh. Prankil Garg (Director), M/s Markendeshwar Food Allied Products Ltd., Ladwa Road, Opp. Rama Theaters, Shahabad (Markanda) Kurukshetra, Hariyana Pin 136131
7. Smt. Saroj Gupta (Director), M/s Markendeshwar Food Allied Products Ltd., Ladwa Road, Opp. Rama Theaters, Shahabad (Markanda) Kurukshetra, Hariyana Pin 136131
8. Smt. Shashi Garg (Director)[M/s Markendeshwar Food Allied Products Ltd., Ladwa Road, Opp. Rama Theaters, Shahabad (Markanda) Kurukshetra, Hariyana Pin 136131
9. Sh. Ishant Garg (Director), M/s Markendeshwar Food Allied Products Ltd., Ladwa Road, Opp. Rama Theaters, Shahabad (Markanda) Kurukshetra, Hariyana Pin 136131
10. M/s Markendeshwar Food Allied Products Ltd., Ladwa Road, Opp. Rama Theaters, Shahabad (Markanda) Kurukshetra, Hariyana Pin 136131

........अप्रार्थी

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (ii) एवं धारा 51, धारा 58 के तहत

उपस्थित :
अप्रार्थीगण संख्या 4 से 10 की ओर से श्री महेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री सूरज भान गुप्ता, मैनेजर एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से श्री हिमांशु अग्रवाल

–: आदेश :–

दिनांक–27.06.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) एवं Contravenes Regulation घी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 58 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, माल खरीदबिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 27.10.2024 को दोपहर 03:00 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारीश्री अजय मोयलमैसर्स महादेव ट्रेडर्स, 51, आदर्श नगर गेट के अन्दर, जैन स्थानक के पास, आदर्श नगर, अजमेर पर पहुँचे।विक्रेता की हैसियत से श्री हिमांशु अग्रवाल पुत्र श्री राजनारायण अग्रवाल मौके पर उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान 15–15 किलोग्राम घी (ब्राण्ड नाम मुरली) के 08 टिन पैक विक्रय हेतु रखा हुआ मिला।एक टिन पैक को खोलकर देखने पर घी कीं मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 800 ग्राम घी 400/– रूपयें श्री हिमांशु अग्रवाल को नगद देकर गवाह श्री सुशील कुमार चोटवानीके समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री हिमांशु अग्रवाल को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा घी को विक्रेता के सामने चार सूखी खाली प्लास्टिक बोतल में प्रत्येक में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए–44609 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थय प्रयोगशाला अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है। घी (ब्राण्ड नाम मुरली) का नमूना लिये जाने के बाद मौके पर 15–15 किलोग्राम घी के 08 टिन अभिगृहित कर नियमानुसार विक्रेता की अभिरक्षा में सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/7350 दिनांक 10.12.2024 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/1268/एक्ट/2024/1386 दिनांक 05.12.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया घी (ब्राण्ड नाम मुरली) अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) Contravenes Regulation होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक20.05.2025 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 20.05.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 27.06.2025 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 27.06.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री हिमांशु अग्रवाल उपस्थित रहे।अप्रार्थीगण संख्या 4–5 तथा अप्रार्थीगण संख्या 06 से 10 की ओर से श्री महेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री सूरजभान गुप्ता, मैनेजर उपस्थित हुए तथा न्यायालय मे अप्रार्थीगण संख्या 4–5 श्री सचिन सिंघला पुत्र श्री रामस्वरूप सिंघला द्वारा उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने व दस्तावेज होने बाबत अधिकृत पत्र दिनांक 13.06.2025 प्रस्तुत किया। श्री महेश चन्द गुप्ता ने अप्रार्थी संख्या 6–10 की ओर से मैसर्स मार्कण्डेश्वर फूड्स एण्ड एलाइड की बोर्ड मीटिंग दिनांक 13.06.2025 में पारित प्रस्ताव की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें श्री महेश चन्द गुप्ता को कम्पनी व उनके डायरेक्टर्स की ओर से न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करने बाबत अधिकृत किया है। श्री महेश चन्द गुप्ता ने प्रार्थनापत्र दिनांक 27.06.2025 में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को नियमों की जानकारी के अभाव मे घी ब्राण्ड नाम मुरली का सैम्पल अमानक होना पाया गया है। भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नहीं होगी तथा खाद्य सुरक्षा के नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।.

न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये लिखित प्रत्युत्तर तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किये गये घी ब्राण्ड नाम मुरली अवमानक (सब स्टेण्डर्ड)तथा Contravenes Regulation पाया गया है।

परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया घी ब्राण्ड नाम मुरली अवमानक (सब स्टेण्ड) तथा Contravenes Regulation होना पाया गया, जिसके लिए

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1386 दिनांक 05.12.2024 में अभिमत अंकित किया है कि **–The sample og Ghee bearing Code No. and Sr. No. A-4609 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Ajmer is Substandard as it is not derived exclusively from Milk or Products obtained from Milk as it contain foreign fat (the Fatty acid profile of sample does not match with the Fatty acid profile of Ghee). The sample also Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 due to presence of foreign fact and it does not conform to the prescribed standards and provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011**

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) एवं Contravenes Regulation खाद्य पदार्थबेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व धारा 58में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) Contravenes Regulation पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। जनहित में न्यायालय द्वारा यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि निर्माता कम्पनी द्वारा अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) तथा Contravenes Regulation घी (ब्राण्ड नाम मुरली) का विक्रय किया जावे।

अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा51 तथा धारा 58 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर निम्ननुसार शास्ति आरोपित की जाती है –

1. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 51 के तहत **निर्माता कम्पनी (अप्रार्थी संख्या 10)**जरिये डायरेक्टर्स (अप्रार्थी सं 6 से 9) M/s Markendeshwar Food Allied Products Ltd., Ladwa Road, Opp. Rama Theaters, Shahabad (Markanda) Kurukshetra, Hariyana पर रू. 5,00,000/– (रू. पाँच लाख मात्र)
2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 58 के तहत **निर्माता कम्पनी (अप्रार्थी संख्या 10)**जरिये डायरेक्टर्स (अप्रार्थी सं 6 से 9) M/s Markendeshwar Food Allied Products Ltd., Ladwa Road, Opp. Rama Theaters, Shahabad (Markanda) Kurukshetra, Hariyana पर रू. 2,00,000/– (रू. दो लाख मात्र)
3. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 51 व धारा 58 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 श्री हिमांशु अग्रवाल पुत्र श्री राज नारायण अग्रवाल (विक्रेता) पर रू. 20,000/– (बीस हजार मात्र)(अक्षरे रू. बीस हजार) की शास्ति आरोपित की जाती है।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के ामई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 27.06.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

न्यायहित में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी श्री हिमांशु अग्रवाल पुत्र श्री राजनारायण अग्रवाल (विक्रेता), मैसर्स महादेव ट्रेडर्स, 51, आदर्श नगर गेट के अन्दर, जैन स्थानक के पास, आदर्श नगर, अजमेरका अधिगृहित किये गये घी ब्राण्ड नाम मुरली(07 टिन पैक प्रत्येक 15 किलोग्राम तथा 01 खुला हुआ टिन पैक) कुल मात्रा 119.200 किलोग्राम को अधिग्रहण से छोड़ा जाकर अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा, अजमेर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त अधिग्रहित किये गये घी (ब्राण्ड नाम मुरली) का खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत नियमानुसर निस्तारण किये जाने की कार्यवाही की जाकर, इस न्यायालया को निस्तारण हेतु की गयी कार्यवाही से अवगत करावे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योति कक्वानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

निर्णायक अधिकारी अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता / अपर / 2025 / दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर
4. श्री हिमांशु अग्रवाल पुत्र श्री राजनारायण अग्रवाल (विक्रेता), मैसर्स महादेव ट्रेडर्स, 51, आदर्श नगर गेट के अन्दर, जैन स्थानक के पास, आदर्श नगर, अजमेर
5. श्रीमती हर्षा अग्रवाल (प्रोपराईटर), मैसर्स महादेव ट्रेडर्स, 51, आदर्श नगर गेट के अन्दर, जैन स्थानक के पास, आदर्श नगर, अजमेर
6. मैसर्स महादेव ट्रेडर्स, 51, आदर्श नगर गेट के अन्दर, जैन स्थानक के पास, आदर्श नगर, अजमेर
7. श्री सचिन सिंघला, पुत्र श्री रामस्वरूप सिंघला (प्रोपराईटर) मैसर्स सिंघला डेयरी प्रोडक्ट, शॉप नम्बर 10, हाउसिंग बोर्ड मार्केट, शाहाबाद (मर्कण्डा), कुरूक्षेत्र, हरियाणा पिन 136131
8. मैसर्स सिंघला डेयरी प्रोडक्ट, शॉप नम्बर 10, हाउसिंग बोर्ड मार्केट, शाहाबाद मर्कण्डा), कुरूक्षेत्र, हरियाणा पिन 136131
9. Sh. Prankil Garg (Director), M/s Markendeshwar Food Allied Products Ltd., Ladwa Road, Opp. Rama Theaters, Shahabad (Markanda) Kurukshetra, Hariyana Pin 136131
10. Smt. Saroj Gupta (Director), M/s Markendeshwar Food Allied Products Ltd., Ladwa Road, Opp. Rama Theaters, Shahabad (Markanda) Kurukshetra, Hariyana Pin 136131

11. Smt. Shashi Garg (Director)[M/s Markendeshwar Food Allied Products Ltd., Ladwa Road, Opp. Rama Theaters, Shahabad (Markanda) Kurukshetra, Hariyana Pin 136131
12. Sh. Ishant Garg (Director), M/s Markendeshwar Food Allied Products Ltd., Ladwa Road, Opp. Rama Theaters, Shahabad (Markanda) Kurukshetra, Hariyana Pin 136131
13. M/s Markendeshwar Food Allied Products Ltd., Ladwa Road, Opp. Rama Theaters, Shahabad (Markanda) Kurukshetra, Hariyana Pin 136131

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी
अजमेर